न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 51 / 2025(GCMS 2025/292)
(RTI No. 212768981819350)

श्रीमती मुन्नी देवी मोदी पुत्री श्री प्यारे लाल मोदी निवासी वार्ड नं. 27, 15R पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94133 07717)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

11.08.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती मुन्नी देवी मोदी स्वयं नहीं हुए। अप्रार्थी की ओर से श्री प्रदीप कुमार मोदी अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में व्यक्तिगत उपस्थिति में असमर्थता व्यक्त की है और निवेदन किया है कि अपील पत्र में समस्त तथ्य, तर्क एवं साक्ष्य संलग्न करते हुए विधिसम्मत रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है और केवल लिखित दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिये जाने की प्रार्थना की है। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2025 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्रीमती मुन्नी देवी मोदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14 / 1 की 0.076 हैक्टेयर भूमि को नहरी घोषित किया गया तथा
2. मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 17 / 2 की 0.076 हैक्टेयर भूमि को गैर–मुमकिन घोषित किया गया तथा
3. अमित कुमार पुत्र गोपीराम जाति अग्रवाल को नया खातेदार बनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.10.14 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सू.का.अधि. / भू.अ. / 2025 / 5835 दिनांक 07.08.2025 के माध्यम से अपीलार्थी श्रीमती मुन्नी देवी मोदी को पत्रांक 4761 दिनांक 01.07.2025 से दिये गये जवाब की प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 51/2025
(GCMS No. 2025/292)
(RTI No. : 212768981819350)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के क्रम मे सूचना निम्न प्रकार है:

क्र.स.	चाही गई सूचना	प्रेषित सूचना
1	मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14/1 की 0.076 हैक्टेयर भूमि को नहरी घोषित किया गया तथा	आप द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया है कि आपको कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है। आप द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की होने के कारण आपको उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है। आप कार्यालय समय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर लेवें एवं अवगत करावें कि आपको कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है ताकि उक्त रिकॉर्ड की प्रतियां आपको उपलब्ध करवाया जा सके।
2	मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 17/2 की 0.076 हैक्टेयर भूमि को गैर–मुमकिन घोषित किया गया तथा	आप द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया है कि आपको कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है। आप द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की होने के कारण आपको उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है। आप कार्यालय समय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर लेवें एवं अवगत करावें कि आपको कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है ताकि उक्त रिकॉर्ड की प्रतियां आपको उपलब्ध करवाया जा सके।
3	अमित कुमार पुत्र गोपीराम जाति अग्रवाल को नया खातेदार बनाया गया।	आप द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया है कि आपको कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है। आप द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की होने के कारण आपको उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है। आप कार्यालय समय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर लेवें एवं अवगत करावें कि आपको कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है ताकि उक्त रिकॉर्ड की प्रतियां आपको उपलब्ध करवाया जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4761 दिनांक 01.07.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है, **सूचना का अधिकार** अधिनियम **2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर** को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी यदि पत्रांक, आदेश दिनांक आदि अवगत करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.20 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर